



केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कैशलेस कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए कदम एक निश्चित समय सीमा के भीतर कैशलेस कारोबार पूरा करने वाले संस्थानों/केवीके/विश्वविद्यालयों को पुरस्कृत किया जाएगा

Posted On: 11 JAN 2017 5:55PM by PIB Delhi

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने देश भर में कैशलेस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए आज कई फैसले किए। कृषि मंत्रालय में डेयर/आईसीएआर के उच्च अधिकारियों की आज हुई बैठक में फैसला किया गया कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर कैशलेस कारोबार पूरा करने वाले संस्थानों/केवीके/विश्वविद्यालयों को पुरस्कृत किया जाएगा।

बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि एक सप्ताह में पूर्णतया कैशलेस होने पर आईसीएआर प्रतिष्ठान को 5 लाख रुपये और केवीके को एक लाख रुपया बतौर इनाम दिया जाएगा। इसी प्रकार, 2 सप्ताह में पूरी तरह कैशलेस होने पर आईसीएआर प्रतिष्ठान को 3 लाख रुपये और केवीके को 50 हजार रुपये प्रोत्साहन के तौर पर दिए जाएंगे। तीन सप्ताह में कैशलेस होने पर आईसीएआर संस्थान को 2 लाख रुपये और केवीके को 25 हजार रुपये पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे।

SS

(Release ID: 1480344) Visitor Counter : 71

